भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1359
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय

1359. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश के जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में राज्य-वार और न्यायालय-वार लगभग कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या विगत चार वर्षों के दौरान उपरोक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का इतनी बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए उनके शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 05.02.2024 तक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**न्यायालय**	**लंबित मामलों की संख्या**
1	उच्चतम न्यायालय	80,302
2	उच्च न्यायालय	62,09,926
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,48,61,459

संबंधित उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य-वार विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

(ख) : विभिन्न न्यायालयों में पिछले चार वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में वृद्धि/कमी दर्शाते हुए लंबित मामलों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

न्यायालय का नाम	**31.12.2020 तक लंबित मामलों की संख्या**	**31.12.2023 तक लंबित मामलों की संख्या**	**वृद्धि/कमी**
उच्चतम न्यायालय	65,086	80,765	(+)15,679
उच्च न्यायालय	56,42,567	62,12,375	(+)5,69,808
जिला न्यायालय	3,66,39,436	4,44,09,480	(+)77,70,044

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। उक्त मामले में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, विधि और न्याय मंत्रालय ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कई पहल की हैं। जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं:-

i. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले। 30.11.2023 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरुध अपराधों के लिए 847 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत थे।

ii. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए, समयबद्ध रीति से 31.03.2018 तक देश भर में लैंगिक अपराधों के लगभग 1,67,000 मामलों के निपटान के लिए विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएस) की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को अंतिम रूप दिया गया और शुभारंभ किया गया। 30.11.2023 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघराज्य क्षेत्र में 758 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (411 ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित) कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

iii. निर्वाचित संसद सदस्यों (सांसदों)/विधान सभा सदस्यों (विधायकों) से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विधि निर्माताओं के लिए विशेष न्यायालय, नौ (9) राज्यों/ संघराज्य क्षेत्र में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

iv. शीघ्र वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए किया गया एक उल्लेखनीय विधायी सुधार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का अधिनियमन है, जो वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए समर्पित और नामित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। इस विशेष विवाद समाधान मशीनरी के माध्यम से इसका लक्ष्य मामला प्रबंधन सुनवाई, मामलों के स्वचालित और यादृच्छिक आवंटन और ई-फाइलिंग, ई-समन, 3-वाणिज्यिक न्यायालयों में स्थगन नियम अनुपालन जैसी कई सर्वोत्तम प्रथाओं जैसी मजबूत और सक्रिय प्रक्रियाओं को अपनाकर देश में वाणिज्यिक मुकदमेबाजी परिदृश्य को बदलना है। ।

v. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्कीम के एक भाग के रूप में, सरकार ने ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को आरंभ किया है, जिसमें ट्रैफिक चालान मामलों को संभालने के लिए 20 राज्यों/ संघराज्य क्षेत्र में 25 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं। इन आभासी न्यायालयों द्वारा 4.11 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और । 30.11.2023 तक 478.69 करोड़ रुपये का जुर्माने की वसूली हो चुकी थी। इन न्यायालयों ने वादकारियों को अपने पसंदीदा स्थान से चौबीसों घंटे अपना जुर्माना भरने या दावों का मुकाबला करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार, न्यायालय प्रणाली और वादकारियों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होती है।

vi. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और सुलह को बढ़ावा देने के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार के लिए प्रत्येक शहर या कस्बे के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है, जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है। राज्यों के अन्य क्षेत्रों में, यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। 30.11.2023 तक, देश में 776 कुटुंब न्यायालय कार्यरत थे जिन्होंने 7,44,700 से अधिक मामलों का निपटारा किया था।

vii. ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अधिनियमन के साथ की गई थी, जिसमें मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत में या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के एक समूह के लिए या सन्निहित ग्राम पंचायतों के एक समूह के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए थे। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी दहलीज पर सस्ता न्याय प्रदान करना है। वे आपराधिक मामलों, सिविल मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करते हैं जो अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, पक्षों के बीच सुलह कराकर विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए। अधिसूचित 477 ग्राम न्यायालयों की तुलना में 287 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं।

****

उपाबंध-1

'मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1359 जिसका उत्तर 09.02.2024 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

05.02.2024 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय का नाम**	**लम्बित मामले**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1073778
2	बंबई उच्च न्यायालय	723671
3	राजस्थान उच्च न्यायालय	667451
4	मद्रास उच्च न्यायालय	541226
5	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	447266
6	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	440853
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय	288478
8	केरल उच्च न्यायालय	255543
9	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	249022
10	तेलंगाना उच्च न्यायालय	248042
11	पटना उच्च न्यायालय	198285
12	कलकत्ता उच्च न्यायालय	195073
13	गुजरात उच्च न्यायालय	170671
14	उड़ीसा उच्च न्यायालय	146131
15	दिल्ली उच्च न्यायालय	123561
16	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	100640
17	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	90807
18	झारखण्ड उच्च न्यायालय	83566
19	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	62792
20	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	50983
21	जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय	44761
22	मणिपुर उच्च न्यायालय	4715
23	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1276
24	मेघालय उच्च न्यायालय	1151
25	सिक्किम उच्च न्यायालय	184
	कुल	**62,09,926**

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध - 2

'मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1359 जिसका उत्तर 09.02.2024 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

05.02.2024 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र	लम्बित मामले
1	उत्तर प्रदेश	11711349
2	महाराष्ट्र	5245503
3	बिहार	3614171
4	पश्चिमी बंगाल	3012709
5	राजस्थान	2338759
6	मध्य प्रदेश	2013105
7	कर्नाटक	1978462
8	केरल	1852293
9	गुजरात	1641149
10	ओडिशा	1621785
11	हरियाणा	1463088
12	तमिलनाडु	1452359
13	दिल्ली	1254506
14	तेलंगाना	919391
15	आंध्र प्रदेश	869368
16	पंजाब	857618
17	हिमाचल प्रदेश	593051
18	झारखंड	549524
19	असम	459832
20	छत्तीसगढ	415374
21	उत्तराखंड	366242
22	जम्मू-कश्मीर	290098
23	चंडीगढ़	133970
24	गोवा	57670
25	त्रिपुरा	52236
26	पुदुचेरी	34291
27	मेघालय	16173
28	मणिपुर	13332
29	अंदमान और निकोबार	8766
30	अरुणाचल प्रदेश	6187
31	मिजोरम	5636
32	सिलवासा में डीएनएच	4322
33	दीव और दमण	3095
34	नागालैंड	2893
35	सिक्किम	1719
36	लद्दाख	1433
	कुल	**44861459**

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****